

M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION -2014

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 5
Total No. of Questions : 5

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 7
No. of Printed Pages : 7

ARTICLE & SUMMARY WRITING
लेखन एवं संक्षेपण

Second Question Paper

द्वितीय प्रश्न-पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.

सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

- | Q.No.
/ प्र.क्र. | Question / प्रश्न | Marks
/ अंक |
|---------------------|---|----------------|
| 1. | <p>Write an article in Hindi or English, on any one of the following <i>social</i> topics:</p> <p>निम्नलिखित <i>सामाजिक</i> विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :</p> <p>(i) Female foeticide
कन्या भ्रूण हत्या</p> <p>(ii) Status of sanitation in India.
भारत में स्वच्छता का स्तर।</p> | 30 |
| 2. | <p>Write an article in Hindi or English, on any one of the following <i>legal</i> topics:</p> <p>निम्नलिखित <i>विधिक</i> विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :</p> <p>(i) Cyber crimes
साइबर अपराध</p> <p>(ii) Lawyers' strike/boycott of courts- impact on justice delivery system.
वकीलों की हड़ताल/न्यायालयों का बहिष्कार—न्याय दान व्यवस्था पर समाधात।</p> | 20 |
| 3. | <p>Summarize the following passage in Hindi or English –
निम्नलिखित अंश का हिन्दी या अंग्रेजी में संक्षिप्तकरण कीजिए –</p> <p>The complaint was preferred before the Chief Judicial Magistrate, Rewa alleging that Accused borrowed a sum of Rs.1,50,000/- from him and issued a cheque for the said sum on 20.06.2001 drawn on Indian Overseas Bank, Rewa branch in discharge of the debt. It is the further case of the complainant that when the cheque was presented for encashment through District Co-operative Bank, branch, Rewa the same was returned by the bankers with the indorsement 'insufficient funds in the account of the accused'.</p> <p>The complainant stated to have issued a lawyer's notice on 14.07.2001, which was received by the Accused on 16.07.2001, but yet there was no reply from the Accused. Based on the above averments alleged in the complaint, the case was tried by the learned Chief Judicial Magistrate.</p> | 20 |

The complainant was examined as PW.1 and Exhibits P-1 to P-6 were marked. None was examined on the side of the Accused. In the questioning of the Accused made under Section 313 of Cr.P.C., the Accused took the stand that his son took the cheque from him and that if at all anything was to be recovered, it had to be made from the son of the Accused, since the Accused had not borrowed any money.

The learned Chief Judicial Magistrate after considering the oral and documentary evidence led on behalf of the complainant, held that the complainant was making a prevaricating statement as regards the issuance of the cheque, that he was not even aware of the date when the amount was said to have been borrowed by the Accused, that there was material alteration in the instrument and, therefore, the complainant failed to establish a case under Section 138 of the Negotiable Instruments Act. Consequently, the learned Chief Judicial Magistrate found the Accused not guilty and acquitted him.

The trial Court had noted certain vital defects in the case of the complainant. Such defects noted by the learned Chief Judicial Magistrate were as under:

- (a) Though the complainant as PW-1 deposed that the accused received the money at his house also stated that he did not remember the date when the said sum of Rs.1,50,000/- was paid to him.
- (b) As regards the source for advancing the sum of Rs.1,50,000/-, the complainant claimed that the same was from and out of the sale consideration of his share in the family property, apart from a sum of Rs.50,000/-, which he availed by way of loan from the co-operative society of the college where he was employed. Though the complainant stated before the Court that he would be in a position to produce the documents in support of the said stand, it was noted that no documents were placed before the Court.
- (c) In the course of cross-examination, the complainant stated that the cheque was signed on the date when the payment was made, nevertheless he stated that he was not aware of the date when he paid the sum of Rs.1,50,000/-.
- (d) According to the complainant, the cheque was in the handwriting of the accused himself and the very next moment he made a contradictory

statement that the cheque was not in the handwriting of the accused and that he (complainant) wrote the same.

(e) The complainant also stated that the amount in words was written by him.

(f) The trial Court has also noted that it was not the case of the complainant that the writing in the cheque and filling up of the figures were with the consent of the accused.

In the light of above evidence, which was lacking in many material particulars, apart from the contradictions therein, the trial Court held that the Accused was not guilty of the alleged offence under Section 138 of the Negotiable Instruments Act and acquitted him.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा के समक्ष यह अभिकथन करते हुए परिवाद प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने उससे 1,50,000/- रूपए की राशि उधार ली थी और 20 जून, 2001 को उक्त राशि का इंडियन ओवरसीज बैंक रीवा शाखा के नाम लिखा गया एक चैक ऋण के उन्मोचन के लिए जारी किया गया था। परिवादी का आगे यह पक्षकथन है कि जब चैक को जिला सहकारी बैंक, रीवा शाखा के माध्यम से भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया, तो बैंक द्वारा इसे "अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि" पृष्ठांकन के साथ लौटा दिया गया।

परिवादी ने कथित रूप से तारीख 14 जुलाई, 2001 को वकील द्वारा एक सूचना जारी की, जो अभियुक्त द्वारा तारीख 16 जुलाई, 2001 को प्राप्त की गई किन्तु फिर भी अभियुक्त से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। परिवाद में अभिकथित उपरोक्त प्राख्यानों के आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का विचारण किया गया।

इस मामले में परिवादी की अभि. सा.1 के रूप में परीक्षा की गई और प्रदर्श पी-1 से पी-6 चिह्नित किए गए। अभियुक्तकी ओर से किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं कराई गई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तसे किए गए प्रश्नों में उसने यह आधार लिया कि उसके पुत्र ने उससे चैक ले लिया था और यदि कोई वसूली की जानी है, तो वह अभियुक्त के पुत्र से की जानी चाहिये चूंकि अभियुक्त ने कोई धन उधार नहीं लिया था।

विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि परिवादी चैक जारी करने के विषय में एक टाल-मटोल कथन कर रहा है और उसे वह तारीख तक ज्ञात नहीं है जब अभियुक्तद्वारा कथित रूप से रकम उधार ली गई थी तथा लिखत में तात्त्विक परिवर्तन किया गया है, इसलिये परिवादी परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन मामला सिद्ध करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तको दोषी नहीं पाया और उसे दोषमुक्त कर दिया।

विचारण न्यायालय ने परिवादी के पक्षकथन में कतिपय महत्वपूर्ण कमियां पाई थीं। विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पाई गई ये कमियां निम्नलिखित हैं :-

(क) यद्यपि परिवादी ने अभि.सा.1 के रूप में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने धन उसके मकान पर प्राप्त किया था, किन्तु यह भी कथन किया है कि उसे वह तारीख स्मरण नहीं है जब 1,50,000/-रूपये की उक्त राशि उसे संदत्त की गई थी।

(ख) उधार देने के लिए 1,50,000/- रूपये की राशि के स्रोत के विषय में परिवादी ने यह दावा कि 50,000/-रूपये की राशि, जो उसने महाविद्यालय, जहां वह नियोजित है, की को-आपरेटिव सोसाइटी से ऋण के रूप में लिए थे, शेष राशि पारिवारिक संपत्ति से उसके हिस्से के विक्रय प्रतिफल में से मिली थी। यद्यपि परिवादी ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि वह उक्त आधार के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत कर देगा, किन्तु यह पाया गया कि न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) परिवादी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया कि बैंक पर हस्ताक्षर उस तारीख को किए गए थे जब संदाय किया गया था, फिर भी उसने यह कथन किया कि उसे वह तारीख ज्ञात नहीं है जब उसने 1,50,000/-रूपये संदत्त किए थे।

(घ) परिवादी के अनुसार बैंक स्वयं अभियुक्त के हस्तलेख में लिखा गया था और अगले ही क्षण उसने एक विरोधाभासी कथन किया कि बैंक अभियुक्त के हस्तलेख में नहीं था और बैंक उसने (परिवादी) लिखा था।

(ङ.) परिवादी ने यह भी कथन किया कि रकम शब्दों में उसके द्वारा लिखी गई थी।

(च) विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि परिवादी का यह पक्षकथन नहीं है कि चेक लिखने और अंक भरने का काम अभियुक्त की सम्मति से किया गया था।

उपरोक्त साक्ष्य, जिसमें विरोधाभासों के अतिरिक्त बहुत सारी तात्विक कमियां हैं, को ध्यान में रखते हुये विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध का दोषी नहीं है और उसे दोषमुक्त कर दिया।

4. **Translate the following 15 Sentences into English :-**
निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :-

15

- (1) जैसे पक्षी केवल एक पंख से नहीं उड़ सकता, महिलाओं को पीछे छोड़कर देश भी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता।
- (2) भारतीय महिलाओं ने कष्ट झेले हैं और आज भी भेद-भाव के कष्ट को मौन रहकर सह रहीं हैं।
- (3) आज तक उनका स्व-बलिदान और परित्याग उनकी कुलीनता है।

- (4) महात्मा गांधी का दृष्टिकोण हमेशा महिलाओं के अधिकार के संबंध में गैर समझौता पूर्ण रहा है।
- (5) वे हमेशा जोर देते थे कि पुत्र और पुत्रियों में समानता का व्यवहार होना चाहिये।
- (6) सभी प्रकार का भेद-भाव जो लिंग के आधार पर हो वे मूलभूत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का उल्लंघन हैं।
- (7) अभियुक्त ने चोरी करने के आशय से दिनांक- 26.01.2015 को रात्रि दो बजे फरियादी के घर में प्रवेश किया।
- (8) इसके बाद उसने फरियादी के शयन कक्ष में प्रवेश किया।
- (9) उस समय फरियादी सोने की चैन पहने हुये थी और सो रही थी।
- (10) अभियुक्त ने सोने की चैन 15 ग्राम वजन की 20 हजार रुपये कीमत की चुरा ली
- (11) पन्द्रह दिन पश्चात अभियुक्त एक सोने की चैन बेचते हुये पकड़ा गया
- (12) तब फरियादी ने एफ.आई.आर. पंजीकृत कराई थी।
- (13) क्योंकि उसे अहसास तक नहीं हो पाया था कि चैन चुरा ली गई जब वह सो रही थी।
- (14) अभियुक्त के विरुद्ध सोने की चैन की जप्ती सिद्ध नहीं हुयी थी।
- (15) इसलिये न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।

5. **Translate the following 15 Sentences into Hindi :-**

निम्नलिखित 15 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :-

1. When I first began the reminiscences that have gone into this book, I was uncertain which of my memories were worth narrating.
2. My childhood is precious to me, but would it be of any relevance to anyone else?
3. Was it worth the reader's while, I wondered, to know of the trials and triumphs of a small-town boy?
4. Of the straitened circumstances of my school days and the odd jobs I worked to pay my school fees?
5. Of my frustrated attempt to become a pilot in the Indian Air Force?
6. Or how I become a rocket engineer instead of the civil servant my father dreamed I would be?
7. Why would any of this be of interest to the general reader, I wondered.
8. Finally, I was convinced that my story was relevant, if not for anything else but because it tells the story of an individual destiny.

9. That destiny cannot be seen in isolation from the social matrix in which it is embedded.
10. I decided to describe the individuals who had a profound influence on my life.
11. This story is not just an account of my personal triumphs and tribulations.
12. It tells of the successes and setbacks of the scientific establishment in modern India.
13. It is a tribute to the unflagging enthusiasm and capabilities of my young colleagues.
14. We all are born with a divine fire in us.
15. Our effort should be to give wings to this fire.
